www.shodhpith.com ISSN (Online): 3049-3331

Shodhpith
International Multidisciplinary
Research Journal
(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)
(Multidisciplinary, Bimonthly, Multilanguage)

Volume: 1 Issue: 4 July-August 2025

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की सार्थकता (बिहार के सन्दर्भ में)

डॉ0 नवल किशोर बैठा

पी.जी अर्थशास्त्र विभाग, (एच.ओ.डी), एम.जे.के कॉलेज, बेतिया पश्चिम चंपारण (बिहार), बी.आर.ए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करते हुए समाज के कमजोर वर्गों को सौ दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह शोध पत्र विशेष रूप से बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सार्थकता का मूल्यांकन करता है, जहाँ बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और बेरोजगारी की समस्या अधिक गहराई से देखी जाती है। बिहार में इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण मजदूरों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिली है, साथ ही सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अनुसंधान के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि योजना ने महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि की है और आत्मनिर्भरता को बल प्रदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, तालाब, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण में भी इस योजना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। तथापि, इस योजना के कार्यान्वयन में कई बाधाएँ जैसे भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, समय पर भुगतान में देरी एवं प्रशासनिक जटिलताएँ भी सामने आई हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। यह अध्ययन सुझाव देता है कि यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पारदर्शिता, जागरूकता, तकनीकी निगरानी और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित की जाए, तो यह योजना बिहार जैसे राज्य में ग्रामीण विकास और बेरोजगारी निवारण का सशक्त माध्यम बन सकती है।

मुख्य–शब्दः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार, बिहार, आजीविका सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और अपनी आजीविका के लिए कृषि या अकुशल श्रम पर निर्भर है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी, असमानता और आर्थिक असुरक्षा लंबे समय से नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती बनी रही है। इन्हीं परिस्थितियों के समाधान स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) पारित किया गया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला विश्व का एकमात्र कानूनी प्रावधान है, जो प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सौ दिनों का न्यूनतम रोजगार देने की संवैधानिक गारंटी देता है। प्रस्तुत शोध का

उद्देश्य बिहार राज्य के विशेष सन्दर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रभावशीलता और व्यवहारिकता का परीक्षण करना है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी, जनसंख्या घनत्व और सीमित संसाधनों के चलते आजीविका संकट अधिक तीव्र है। इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, सामाजिक सशक्तिकरण, और आर्थिक स्थायित्व लाने में अपनी भूमिका सही प्रकार से निभाई है। साथ ही, यह शोध उन कारकों की भी पहचान करता है जो इस योजना के सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत योजना की प्रशासनिक संरचना, श्रमिकों की भागीदारी, भुगतान प्रणाली, कार्यों की प्रकृति एवं सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अवधारणा सामाजिक सुरक्षा और अधिकार आधारित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। इसकी शुरुआत "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" के रूप में वर्ष 2005 में हुई, जिसे बाद में महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम दिया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को उनके ही गाँव में काम प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना और पलायन को रोकना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। यह योजना श्रमिकों को न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्राम स्तर पर आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, तालाब, जल संरक्षण, कुएँ, आदि के निर्माण में भी योगदान देती है। इसके अंतर्गत लाभार्थी को समयबद्ध भुगतान, जॉब कार्ड, पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण और महिला भागीदारी जैसे मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। योजना की प्रभावशीलता को आंकलित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन भी किया जाता रहा है।

बिहार की सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता को अत्यधिक बढ़ा देती है। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या अत्यधिक है और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमांत एवं लघु कृषकों की संख्या, शिक्षा की कमी, और बु. नियादी संरचनाओं की अपूर्णता ऐसे कारक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सीमित करते हैं। इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामवासी को सम्मानपूर्वक रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभाव बिहार के समाज में महिला भागीदारी, गरीबी में कमी, सामाजिक समरसता और श्रमिक अधिकारों की जागरूकता के रूप में देखा गया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ जैसे– कार्यों की असमय शुरुआत, भुगतान में देरी, निगरानी की कमजोरी और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता भी देखी गई हैं। इस शोध के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को ईमानदारी, तकनीकी निगरानी और स्थानीय भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाए, तो यह योजना बिहार के ग्रामीण परिदृश्य को सार्थक परिवर्तन की दिशा में ले जा सकती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमः एक अवलोकन

भारत में गरीबी, बेरोजगारी और ग्रामीण असमानता की समस्या लंबे समय से विकास की गति में बाधक रही है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) को पारित किया गया, जिसे बाद में महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कहा जाने लगा। यह अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम रहा, जिसने पहली बार किसी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत का ऐसा पहला कानून है जो रोजगार की गारंटी देता है। इसे अधिनियम संख्या 42 के अंतर्गत 7 सितंबर 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और यह 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में प्रारंभ हुआ, जो बाद में समस्त भारत में लागू हुआ। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 41 और 39 के अनुरूप है, जो राज्य को अपने नागरिकों को आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश देता है। अधिनियम के आर्थिक ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार की साझा भागीदारी होती है। मजदूरी का भुगतान और सामग्री लागत का एक बड़ा भाग केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि प्रशासनिक व्यय और अन्य सहायक कार्यों में राज्य सरकार की भागीदारी होती है। प्रत्येक राज्य में राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है जो योजना

के कार्यान्वयन, निरीक्षण और मूल्यांकन का कार्य करती है। अधिनियम में योजना के संचालन हेतु ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन की प्राथमिक इकाई माना गया है, जिससे विकेंद्रीकरण और स्थानीय भागीदारी को बल मिलता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके सदस्य अकुशल श्रम करने को इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का भुगतानयुक्त रोजगार देने की गारंटी है। यह रोजगार सार्वजनिक कार्यों जैसे जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजना के प्रमुख प्रावधानों में जॉब कार्ड का प्रावधान, 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता, समयबद्ध भुगतान, महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण, सोशल ऑडिट और ई–गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता जैसे तत्व शामिल हैं। इसका लाभ प्राथमिकतः उन ग्रामीण परिवारों को लक्षित करता है जो भूमिहीन, गरीबी रेखा के नीचे, या सीमांत किसान हैं। योजना महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, जिसमें राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को रोजगार उपलब्ध कराए। यदि निर्धारित समय में रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य है। यह अवधारणा भारतीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर है, जहाँ रोजगार को केवल नीतिगत सुविधा न मानकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। न्यूनतम रोजगार की यह गारंटी न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक दृष्टि से भी सशक्तिकरण का कार्य करती है। इससे श्रमिकों को सम्मानजनक आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, और ग्राम स्तर पर विकास में भागीदारी की भावना मिलती है। यह योजना श्रमिकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पलायन को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होती है।

बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रभावशीलता को समझने के लिए किसी भी राज्य विशेष का मूल्यांकन आवश्यक है। बिहार, जिसकी लगभग 89 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इस योजना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिक–प्रधान और सीमांत कृषि पर आधारित इस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजना न केवल रोजगार सृजन का साधन है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रभावी पहल है। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ, जब इसे प्रथम चरण में 23 जिलों में लागू किया गया। इन जिलों में मुख्यतः ऐसे क्षेत्र शामिल थे जहाँ गरीबी, पलायन और बेरोजगारी की स्थिति गंभीर थी। 2007 तक योजना का विस्तार राज्य के सभी 38 जिलों में कर दिया गया। इस योजना को व्यापक रूप से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लागू किया गया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि कार्य सीमित अवधि का होता है और विकल्पों का अभाव है। बिहार सरकार ने योजना के प्रचार–प्रसार, जॉब कार्ड के वितरण, कार्यस्थलों के चिह्नीकरण और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना के लिए ई–गवर्नेंस आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को भी लागू किया गया, जिससे कार्यों की निगरानी और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। बिहार में योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में हुआ है, परंतु इसकी प्रभावशीलता जिलेवार भिन्न रही है। गया, औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, भागलपुर और अररिया जैसे जिले उच्च बेरोजगारी और प्रवास दर के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर अत्यधिक निर्भर हैं। इन जिलों में योजना के अंतर्गत जॉब कार्डधारकों की संख्या अधिक है और रोजगार दिवसों की मांग भी तुलनात्मक रूप से अधिक रही है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर जैसे जिलों में नगरीकरण और अन्य आर्थिक गतिविधियों की उपलब्धता के कारण योजना का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि कुछ जिलों में भुगतान में देरी, कार्यस्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढाँचों की सीमाओं के कारण योजना की दक्षता प्रभावित होती रही है। तथापि, कुछ जिलों में बेहतर प्रबंधन, निगरानी और पंचायत भागीदारी के कारण सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं।

बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तरीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कार्यस्थलों का चयन, मजदूरों की सूची तैयार करने, कार्यों की निगरानी और भुगतान की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका सौंपी गई है। यह विकेंद्रीकृत संरचना स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य चयन और श्रमिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक जैसे अधिकारी योजना के प्रशासनिक संचालन में सहायता करते हैं। यद्यपि पंचायतों की भागीदारी सैद्धांतिक रूप से अनिवार्य है, किंतु व्यवहार में अनेक बार क्षमता की कमी, प्रशिक्षण की अनुपलब्धता और राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण इन संस्थाओं की प्रभावशीलता में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इसके बावजूद कई पंचायतों में स्वयंसेवी संगठनों और समुदाय आधारित निगरानी की सक्रियता ने योजना को जनभागीदारी से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन यद्यपि अनेक चुनौतियों से युक्त रहा है, फिर भी यह योजना ग्रामीण समाज में रोजगार, संरचना निर्माण, महिला भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक आधारशिला सिद्ध हो रही है। यदि पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जाए, तो यह योजना बिहार के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदल सकती है।

रोजगार सृजन में योजना की भूमिका

भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण बेरोजगारी, विशेषकर गरीब और भूमिहीन वर्ग के लिए एक स्थायी चुनौती रही है। बिहार जैसे राज्य, जहाँ अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है, वहाँ कृषि की मौसमी प्रवृत्ति और सीमित संसाधनों के कारण स्थायी रोजगार की समस्या अधिक जटिल बन जाती है। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने एक वैकल्पिक और प्रभावी रोजगार सृजन तंत्र के रूप में कार्य किया है। बिहार की ग्रामीण संरचना में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो भूमिहीन अथवा सीमांत कृषक है। इस वर्ग के पास न तो स्थायी आय का स्रोत होता है और न ही निजी कृषि भूमि, जिस पर वे स्वयं कार्य कर सकें। ऐसे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी योजना इन श्रमिकों के लिए न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें उनके ही गाँव में सम्मानजनक कार्य का अवसर देती है। जॉब कार्ड धारकों को स्थानीय विकास कार्यों में संलग्न कर उन्हें 100 दिनों तक की मजदूरी प्राप्त होती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। खासकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए यह योजना सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। बिहार की कृषि व्यवस्था वर्षा पर आधारित होने के कारण यह अक्सर जोखिमपूर्ण होती है। खेती में कार्य की मौसमी प्रकृति और सीमित जोत भूमि होने के कारण एक बड़ा वर्ग कृषि के अतिरिक्त रोजगार की तलाश करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने इस समस्या को आंशिक रूप से हल करने में सहायता की है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, खेत सड़क निर्माण, सिंचाई नहर, और कूप निर्माण जैसे कार्य कृषि सहायक होते हैं, जो न केवल ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार यह योजना कृषि क्षेत्र की अव्यवस्थितता को व्यवस्थित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

बिहार से हर वर्ष लाखों ग्रामीण श्रमिक विभिन्न महानगरों की ओर पलायन करते हैं। इसका प्रमुख कारण उनके गांवों में आजीविका के साधनों का अभाव होता है। लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधि. नियम ने इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। जब ग्राम स्तर पर ही भुगतानयुक्त रोजगार उपलब्ध होता है, तब प्रवास की आवश्यकता कम होती है। हालांकि, योजना का कार्यान्वयन यदि और अधिक नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध हो, तो प्रवासन की दर में और गिरावट लाई जा सकती है। विशेष रूप से कोविड–19 के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में उनकी बढ़ती भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि योजना को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह पलायन को रोकने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। रोजगार सृजन के साथ–साथ यह योजना सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी संरचना विकास और स्थायी आजीविका निर्माण का माध्यम भी बन रही है। बिहार जैसे राज्य में इसकी सार्थकता और भी अधिक है, जहाँ यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बनकर उभर रही है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा

भारत जैसे विकासशील देश की ग्रामीण संरचना में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और व्यापक महत्व का रहा है। विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य, जहाँ आबादी का एक बड़ा भाग निर्धनता, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता से ग्रस्त है, वहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक परिवर्तनकारी योजना के रूप में स्थापित हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से सबसे प्रमुख लाभ जो उभर कर सामने आया है, वह है ग्रामीण मजदूरों की आय में सुधार। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत और भूमिहीन किसानों की संख्या अत्यधिक है, जिन्हें कृषि के अतिरिक्त कोई स्थायी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उन्हें वर्ष में 100 दिनों तक का भुगतानयुक्त कार्य प्रदान कर आय के एक अतिरिक्त स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह आय पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनेक क्षेत्रों में यह भी देखा गया है कि जिन परिवारों को पूर्व में ऋण के सहारे जीवन यापन करना पड़ता था, वे अब आंशिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशिष्ट उपलब्धि महिला श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी रही है। बिहार में यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। योजना के नियमों के अनुसार कम से कम 33 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं के लिए सुरक्षित है, लेकिन व्यवहार में कई जिलों में यह प्रतिशत 40–50 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, बल्कि उन्होंने अपने परिवारों में निर्णय लेने की भूमिका में भी प्रगति की है। महिला मजदूर अब योजनाओं की निगरानी, ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी और सामुदायिक विकास कार्यों में सहभागिता निभा रही हैं। यह नारी सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है, जो पारंपरिक सामाजिक संरचना में बदलाव का संकेत देता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सबसे व्यापक प्रभाव गरीबी उन्मूलन और आर्थिक असमानता को कम करने में देखा गया है। योजना का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समावेशन को भी स्थापित करना है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को योजना में प्रा. थमिकता दिए जाने से सामाजिक समरसता को बल मिला है। मजदूरी भुगतान की सीधी बैंक ट्रांसफर प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका को सीमित कर पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि जिन परिवारों को नियमित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य मिला है, उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के माध्यम से ग्राम स्तर पर संपत्ति निर्माण जैसे जलाशयों, सड़कें, वृक्षा. रोपण आदि से स्थानीय संसाधनों का विकास हुआ है, जिससे लंबे समय में आर्थिक विकास की संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बिहार जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील राज्य में केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि समग्र सामाजिक सुरक्षा ढाँचे का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

बिहार में योजना की सार्थकता का मूल्यांकन

ग्रामीण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, और सामाजिक विषमता की समस्या को कम करने की दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण पहल रही है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन का माध्यम है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण समाज के सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन को सुनिश्चित करना भी है। बिहार जैसे राज्य, जहाँ गरीबी अनुपात अधिक है और संसाधनों की उपलब्धता सीमित, वहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सार्थकता विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। आर्थिक रूप से यह योजना उन परिवारों को सीधा लाभ देती है जो भूमिहीन, सीमांत या असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। कार्य करने के बदले भुगतान की व्यवस्था, मजदूरों की आय में सीधा इजाफा करती है, जिससे उनकी क्रयशक्ति बढ़ती है। यह योजना पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरतों

को पूरा करने में सहायक रही है। सामाजिक दृष्टि से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। कई जिलों में महिला श्रमिकों की भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जिससे वे घर की आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की भागीदारी भी बढ़ी है, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिला है। सांस्कृतिक रूप से यह योजना श्रम को सम्मान दिलाने की दिशा में सहायक सिद्ध हुई है। पहले जिन कार्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, अब वही कार्य आत्मसम्मान और अधिकार के रूप में देखे जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सफलता का एक मापदंड यह भी है कि वह किस प्रकार का रोजगार प्रदान करती है और वह रोजगार कितना स्थायी है। बिहार में योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्य जैसे– जलाशय, तालाब, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों का निर्माणकृन केवल श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देते हैं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक उपयोगिता भी प्रदान करते हैं। इससे कार्य की गुणवत्ता और उसका सामाजिक मूल्य दोनों स्पष्ट होता है। हालाँकि, योजना द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार को अभी भी पूर्णकालिक या आजीविका प्रदायक नहीं कहा जा सकता। श्रमिकों को केवल 100 दिनों तक का रोजगार सुनिश्चित होता है, जो पूरे वर्ष की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त कई बार कार्यों की प्रकृति असंगठित, अनियमित और तकनीकी मार्गदर्शन से रहित होती है, जिससे श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि नहीं हो पाती।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना के अंतर्गत किए गए कार्य जैसे जल संरक्षण, खेत बाँध, तालाब निर्माण, सड़कों का मरम्मत कार्य, आदि ने ग्रामीण जीवन को सीधे प्रभावित किया है। इससे कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है, साथ ही वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर संतुलन और खेतों की सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को सशक्त करने में भी यह योजना सहायक रही है। कार्यों की योजना बनाना, सामा. जिक अंकेक्षण करना और कार्यों का मूल्यांकन, पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बिहार के ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता, पारिस्थितिक स्थायित्व और श्रम आधारित विकास को स्थापित करने में एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

सुधार की संभावनाएँ और सुझाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में सामाजिक सुरक्षा, आजीविका की स्थिरता और ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी आबादी गरीबी, बेरोजगारी और कृषि पर निर्भरता की चुनौती से जूझती है, वहाँ यह योजना विशेष प्रासंगिकता रखती है। यद्यपि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने ग्रामीण जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके क्रियान्वयन में सामने आईं व्यावहारिक बाधाएँ, प्रशासनिक कमज़ोरियाँ और निगरानी की सीमाएँ इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी व्यापक और अधि. कार आधारित योजना की सफलता का मूल आधार है– उसका पारदर्शी और उत्तरदायी तंत्र। बिहार में योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड और श्रमिकों को समय पर भुगतान में देरी जैसी समस्याएँ पारदर्शिता की कमी को उजागर करती हैं। इस दिशा में सोशल ऑडिट को और अधिक सक्रिय एवं व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए। ग्राम सभा की बैठकें नियमित हों और उनमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कार्यस्थलों की जानकारी सार्वजनिक सूचना पट्ट पर दी जाए, जिससे प्रत्येक नागरिक कार्य की स्थिति का अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त जॉब कार्ड के सत्यापन, कार्यों की सूची, मजदूरी भुगतान विवरण और लाभार्थियों की भागीदारी संबंधी सभी आँकड़े पंचायत स्तर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिएँ। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था आवश्यक है।

डिजिटल इंडिया के दौर में योजनाओं की निगरानी, कार्यान्वयन और भुगतान प्रणाली में तकनीकी नवाचारों का समावेश आवश्यक है। बिहार में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रबंधन सूचना प्रणाली (डैै) प्रणाली लागू है, परंतु उसका प्रयोग अभी भी सीमित और तकनीकी साक्षरता की कमी से प्रभावित है।

यदि प्रत्येक कार्यस्थल पर वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (ळच्ै) आधारित उपस्थिति प्रणाली, बायोमेट्रिक हाजिरी, और ड्रोन के माध्यम से कार्यों की निगरानी जैसे तकनीकी उपाय किए जाएँ तो पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार होगा। मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कार्यों की प्रगति, मजदूरी की स्थिति और शिकायत निवारण को जोड़ने से योजना की पहुँच और विश्वसनीयता दोनों में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर डिजिटल हेल्प डेस्क की स्थापना भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दीर्घकालिक लाभ तभी सुनिश्चित हो सकता है जब इसे कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाए। बिहार में अधिकांश ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं, किंतु वर्षा आधारित खेती, सीमांत जोत, और मौसमी बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण उन्हें नियमित आय नहीं मिलती। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कृषि विकास से जोड़कर सिंचाई, खेत समतलीकरण, मिट्टी संरक्षण, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन और जैविक खाद निर्माण जैसे कार्यों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को कृषि प्रशिक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और फसल विविधीकरण जैसी सेवाएँ योजना के माध्यम से दी जा सकती हैं। इससे एक ओर ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, दूसरी ओर कृषि उत्पादन और संसाधनों का संरक्षण भी होगा। इस प्रकार योजना केवल मजदूरी तक सीमित न रहकर स्थायी आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का माध्यम बन सकती है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में उभरा है। यह योजना केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह सामाजिक सम. ावेशन, आर्थिक स्थायित्व और ग्रामीण विकास के व्यापक उद्देश्य को समाहित करने वाला एक सशक्त साधन है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ निर्धनता, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएँ अत्यंत गहन हैं, वहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से योजना की व्यवहारिकता, उपलब्धियों, सीमाओं तथा भविष्य की संभावनाओं का गहन मूल्यांकन किया गया है। यह योजना उन गरीब, भूमिहीन, और हाशिए पर स्थित वर्गों को कार्य और आय की गारंटी देती है, जिनके पास रोजगार के अन्य साधनों का अभाव है। विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की योजना में भागीदारी बढ़ी है, जिससे समाज में समावेशी विकास को बल मिला है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अधोसंरचना जैसे सड़कों, तालाबों, नहरों और जलस्रोतों के निर्माण ने कृषि उत्पादकता को भी प्रभावित किया है। योजना ने मौसमी बेरोजगारी की समस्या को आंशिक रूप से कम किया है और प्रवास की दर को नियंत्रित करने में भी सहायता की है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, पंचायतों की भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण जैसे नवाचारों ने योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही को बल प्रदान किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सार्थकता केवल आंकड़ों या रोजगार दिवसों की संख्या से नहीं मापी जा सकती, बल्कि यह योजना सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मानव गरिमा की पुनर्प्रतिष्ठा का माध्यम है। बिहार जैसे राज्य में इसकी निरंतरता, सशक्तिकरण और नवाचार के साथ क्रियान्वयन, राज्य के समग्र विकास की दिशा में निर्णायक सिद्ध हो सकता है।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

संदर्भ

1. गुप्ता, के. एल. (2004). भारत की आर्थिक समस्याएं. नवयुग साहित्य सदन, आगरा।
2. दुबे, आर. एन., – सिन्हा, वी. सी. (2002). आर्थिक विकास एवं नियोजन. नेशनल पब्लिकेशन।

3. डे, निखिल., द्रेज़, ज्यां., — खेरा, रितिका. (2008). रोजगार गारंटी अधिनियम. नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2012). महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा. ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. सेन, अमर्त्य., — द्रेज़, ज्यां. (2019). भारत और उसके विरोधाभास. राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
6. रंगरातन, सी. (2010). भारत की अर्थनीतिः नये आयाम. राजपाल प्रकाशन एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
7. जलान, विमल. (2007). भारत का भविष्यरू राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन. पेगुइन बुक्स इंडिया प्रा. लि., गुड़गांव, हरियाणा।
8. दत्त, पी., मुर्रगई, आर., रैवेलियन, एम., — वल्ले, डी. (2012). क्या भारत की रोजगार गारंटी स्कीम रोजगार गारंटी देती है? इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 16।
9. महीपाल. (2013). इम्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल पीपुल. कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, पृ. 20—23।
10. श्रीवास्तव, ओ. एस. (2005). संवृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र. कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
11. सिंह, राजेन्द्र. (2002). भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन की समस्याएँ. राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
12. राव, एम. वी. (2011). ग्रामीण विकास समीक्षा विशेषांक. राष्ट्रीय ग्रामीण, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।

Cite this Article-

'डॉ0 नवल किशोर बैठा,', **'महात्मा गाँधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की सार्थकता (बिहार के सन्दर्भ में)'**, Shodhpith International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 3049-3331 (Online), Volume:1, Issue:04, July-August 2025.

Journal URL- https://www.shodhpith.com/index.html

Published Date- 10 July 2025

DOI-10.64127/Shodhpith.2025v1i4005